UPBJ010029262026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 738/2026

युनूस व मैसर जहां **बनाम** उ0प्र0 सरकार

दिनाँक 12–03–2026

आदेश

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा संलग्न प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **युनुस** पुत्र अब्दुल मजीद एवं **मैसर जहां** पत्नी युनुस की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 05/2024, धारा– 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला पुलिस परामर्श केन्द्र चांदपुर, जिला बिजनौर में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी को रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को देरी से लिखाया गया है तथा देरी का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त वाद की पीड़िता या परिजनों से कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की है, ना ही कभी भी उक्त वाद की पीड़िता के साथ मारपीट, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले की घटना का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः याचना की गयी है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण उपरोक्त पर वादिनी मुकदमा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दहेज में दो लाख रुपये नकद व मोटर साईकिल की मांग करने, मांग पूरी न होने पर मारपीट करने, गाली–गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

उपरोक्त मामला पति–पत्नी के विवाद से सम्बन्धित है। प्रार्थी/अभियुक्त युनुस वादिनी मुकदमा का ससुर एवं प्रार्थिनी/अभियुक्त मैसर जहां वादिनी की सास बतायी गयी है। सह–अभियुक्त सोयब की अग्रिम जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण मजिस्ट्रेट

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.13 10:15:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं कथित अपराध सात साल से कम की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाय–

1– अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेंगे।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण–अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

दिनाँक 12–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।